<u>न्यायालयः- विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./अ.ज.जा. (अ.नि.प्र), झालावाड़ (राज.)</u>

पीठासीन न्यायाधीश - **सुनीता मीणा,** आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सैशन प्रकरण संख्या - 84/2021

(सी.आई.एस.नं.-84/2021)

राजस्थान राज्य

(अभियोगी)

बनाम

1- प्रकाश पुत्र हरिराम गोद कन्हैयालाल, उम्र 33, निवासी दौलाड़ा, पुलिस थाना सारोला कलां, जिला-झालावाड़ (राज.)

2- तेजराज उर्फ तेजकरण पुत्र हरिराम, उम्र 38 वर्ष, निवासी दौलाड़ा, पुलिस थाना सारोला कलां, जिला-झालावाड़ (राज.)

3- कमल पुत्र पुरबचन्द, उम्र 31 वर्ष, निवासी मानपुरा, पुलिस थाना सारोला कलां, जिला-झालावाड़ (राज.)

4- दानमल उर्फ हंसराज पुत्र अमृतलाल, उम्र 26 वर्ष, निवासी मानपुरा, पुलिस थाना सारोला कलां, जिला-झालावाड़ (राज.)

5- नारायण पुत्र उदयलाल, उम्र 23 वर्ष, निवासी दौलाड़ा, पुलिस थाना सारोला कलां, जिला-झालावाड़ (राज.)

6- भोजराज पुत्र छीतरलाल, उम्र 42 वर्ष, निवासी दौलाड़ा, पुलिस थाना सारोला कलां, जिला-झालावाड़ (राज.)

7- **अमरलाल पुत्र नन्दाजी, उम्र 43 वर्ष, निवासी मानपुरा, पुलिस थाना सारोला कलां, जिला-झालावाड़ (राज.) – (फौत) – अभियुक्तगण**

अपराध अन्तर्गत धारा 143, 323, 325, 504, 308 भा.दं.सं.
अथवा 323/149, 325/149, 308/149 भा.दं.सं. एवं
धारा 3-1(r)(s), 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट

उपस्थितः-

1- श्री महेश पाटीदार, विशिष्ट लोक अभियोजक, राज.राज्य की ओर से।

2- श्री शैलेन्द्र कुमार पोसवाल, अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।

निर्णय **दिनांकः- 23.04.2026**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 17.01.2017 को परिवादी/मजरूब फूलचन्द पुत्र नाथूलाल, उम्र 55 वर्ष, निवासी सेकुड़, पुलिस थाना हरनावदाशाहजी, जिला-बांरा द्वारा जैर ईलाज एस.आर.जी.एच. झालावाड़ पर दिया

गया पर्चा बयान (प्रदर्श पी.-1), पुलिस थाना सारोलाकलां पर इस आशय के तथ्यों का प्राप्त हुआ कि उसके लड़के की लड़की (पौती) की मन्नत की रसोई भीमगढ़ की माताजी पर थी, जहां उनके गांव के करीबन 20-25 आदमी व औरतें गई हुई थी। करीब 4.00 बजे की बात है। वे कुछ लोग खाना खा रहे थे, उस समय गाँव मानपुरा के कमल पुत्र पूरब व नवल पुत्र पूरब गूर्जर व दौलाड़ा के तेजराज पुत्र हरिराम गूर्जर व प्रकाश पुत्र हरिराम गुर्जर हाथों में लट्ठ लेकर एकराय होकर आये व इनके साथ गांव के अन्य आदमी भी थे, जिनके वे नाम नहीं जानते है, इनके हाथों में लट्ठ थे। आते ही तेजराज ने कहा मारों सालों को, तो उसने कहा क्या बात है, क्यों मारोंगे। इसी बात पर तेजराज गुर्जर ने उसके हाथ के लट्ठ की उसके सिर में मारी, खून निकल आया। दूसरी चोट पीछे पीठ पर मारी व प्रकाश पुत्र हरिराम ने शंकर के लट्ठ की सिर में मारी, खून निकल आया व पीछे पीठ पर व बांये पैर पर लट्ठों से मारपीट करी व बांये हाथ की चिट्टी अंगुली पर भी चोट लगी। नवल ने उसके हाथ के लट्ठ की बृजमोहन पुत्र कालूलाल मीणा के सिर में मारी, जिससे खून निकल आया व पसली में दाहिने तरफ भी लट्ठ की मारी व कमल पुत्र पूरब गुर्जर ने उसके पास के लट्ठ की कैलाश पुत्र दानमल मीणा के हाथ पर व दोनों पैरों पर लट्ठों से मारपीट करी। इनके साथ गांव के अन्य लोग भी थे, जिनके वे नाम नहीं जानते है। फिर श्योनाथ पुत्र कन्हीराम मीणा व प्रभूलाल पुत्र फूलचन्द मीणा व गजानन्द पुत्र मोतीलाल लोधा व शंकरलाल पुत्र भैरूलाल मीणा बचाने आये व इन्होंने घटना देखी है। यह सभी मारपीट कर गालियां निकालते हुए चले गये। इसके बाद 108 एम्बूलेंस वहां आई थी, जिसमें उन चारों को अकलेरा अस्पताल गये थे व इससे पहले सारथल अस्पताल ले गये थे, जहां उनके पट्टी करके अकलेरा अस्पताल भिजवा दिया। अकलेरा अस्पताल से उसे व शंकरलाल को झालावाड़ रेफर कर दिया व बृजमोहन पुत्र रोड़ूलाल मीणा को प्राईवेट अस्पताल निरोगधाम अकलेरा में भर्ती कराया। वह व शंकरलाल को झालावाड़ रेफर करने पर वे एस.आर.जी.एच. झालावाड़ आ गये, इत्यादि।

2- उक्त आशय के तथ्यों के पर्चा बयान के आधार पर पुलिस थाना सारोला कलां पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-13/2017, अन्तर्गत धारा 143, 308, 504, 323 भा.दं.सं. एवं धारा 3-2(Va) एस.सी./एस.टी.एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद आवश्यक अनुसंधान दिनांक 19.04.2021 को अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 143, 323, 504, 325, 308 भा.दं.सं. एवं धारा 3-1(s), 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अपराध में आरोप

पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर उक्त अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3- बहस चार्ज सुनी जाकर दिनांक 10.08.2021 को अभियुक्तगण प्रकाश, तेजराज उर्फ तेजकरण, नारायण व भोजराज एवं दिनांक 06.09.2021 को अभियुक्तगण कमल व अमरलाल तथा दिनांक 13.09.2021 अभियुक्त दानमल उर्फ हंसराज को धारा 143, 323, 504, 325, 308 सपठित धारा 149 भा.दं.सं. एवं धारा 3-1(r)(s), 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन व समझकर अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4- साक्ष्य अभियोजन के प्रक्रम पर अभियुक्त **अमरलाल** की मृत्यु होना जाहिर आने पर, उसकी तस्दीकशुदा फौती रिपोर्ट मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 02.12.2025 को उसके विरूद्ध प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही **ड्रोप** की गयी।

5- साक्ष्य अभियोजन में अभियोजन पक्ष की ओर से अपने समर्थन में गवाह पी.ड.-1 फूलचन्द, पी.ड.-2 रामदयाल, पी.ड.-3 गजानन्द, पी.ड.-4 डॉ. सत्येन्द्र मीणा, पी.ड.-5 कैलाशचन्द, पी.ड.-6 शंकरलाल पुत्र कन्हीराम, पी.ड.-7 बृजमोहन, पी.ड.-8 सोनाथ, पी.ड.-9 पानाचन्द, पी.ड.-10 प्रभूलाल, पी.ड.-11 शंकरलाल पुत्र भैरूलाल, पी.ड.-12 जगदीश, पी.ड.-13 मांगीलाल, पी.ड.-14 बलवीर सिंह व पी.ड.-15 हिमांशु के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में पर्चा बयान प्रदर्श पी.-1, नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी.-2, परिवादी का जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.-3, चोट प्रतिवेदन मजरूबान शंकरलाल, पानाचन्द, शोनाथ, फूलचन्द, बृजमोहन व कैलाशचन्द क्रमशः प्रदर्श पी.-4 लगायत पी.-9, मजरूब फूलचन्द का एक्सरे कंवरनोट व एक्सरे फॉर्म क्रमशः प्रदर्श पी.-10 व 11, मजरूब बृजमोहन का एक्सरे कंवरनोट व एक्सरे फॉर्म क्रमशः प्रदर्श पी.-12 व 13, मजरूब शंकरलाल का एक्सरे कंवरनोट व एक्सरे फॉर्म क्रमशः प्रदर्श पी.-14 व 15, मजरूब शंकरलाल का एक्सरे कंवरनोट व एक्सरे फॉर्म क्रमशः प्रदर्श पी.-16 व 17, पुलिस बयान प्रभूलाल प्रदर्श पी.-12, पुलिस बयान शंकरलाल पुत्र भैरूलाल प्रदर्श पी.-13, पुलिस बयान जगदीश प्रदर्श पी.-14, पुलिस बयान मांगीलाल प्रदर्श पी.-15, चॉक एफ. आई.आर. प्रदर्श पी.-16 एवं अभियुक्तगण प्रकाश, तेजराज उर्फ तेजकरण, कमल, दानमल उर्फ हंसराज, नारायण, अमरलाल व भोजराज क्रमशः प्रदर्श पी.-17 लगायत 23 को प्रदर्शित करवाया गया।

6- साक्ष्य अभियोजन की समाप्ति पर अभियुक्तगण का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. (351 बी.एन.एस.एस.) किया गया, तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्षीगण के कथनों को गलत होना बताते हुए, गवाहान द्वारा झूठ बोलना व स्वयं का निर्दोष होना बताते हुए, परिवादी पक्ष माताजी के मन्दिर के अन्दर बलि चढ़ाना चाहते थे, जिन्हें मन्दिर के बाहर बलि चलाने की उनके द्वारा कहने पर आपस में लड़ाई-झगड़ा होना बताया है तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर किये जाने पर साक्ष्य सफाई बन्द की गयी।

7- बहस अन्तिम उभय पक्षकारान सुनी गयी।

8- दौराने बहस विशिष्ट लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्व घोषित किये जाने का निवेदन किया।

9- विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी पक्ष के साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की गयी है। परिवादी/मजरूब पी.ड.-1 फूलचन्द के द्वारा दिये गये पर्चा बयान व उसके सशपथ बयानों में गम्भीर विरोधाभास उत्पन्न हुआ है तथा प्रतिपरीक्षा में मुलजिमान को जानने-पहचानने से इन्कार किया है। प्रकरण के महत्वपूर्ण गवाहान पी.ड.-2 रामदयाल, पी.ड.-3 गजानन्द व मजरूबान पी.ड.-5 कैलाशचन्द, पी.ड.-6 शंकरलाल पुत्र कन्हीराम, पी.ड.-7 बृजमोहन, पी.ड.-8 सोनाथ व पी.ड.-9 पानाचन्द ने अपनी-अपनी प्रतिपरीक्षा में मारपीट करने वाले मुलजिमान को पहले से जानने-पहचानने से इन्कार किया है। प्रकरण के अन्य महत्वपूर्ण गवाहान पी.ड.-10 प्रभूलाल, पी.ड.-11 शंकरलाल, पी.ड.-12 जगदीश, पी.ड.-13 मांगीलाल पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिन्होंने अभियोजन की कहानी का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है। चिकित्सक साक्षी पी.ड.-4 डॉ. सत्येन्द्र मीणा ने मजरूबान के चोटें भाग-दौड़ में सख्त धरातल पर गिरने पड़ने से आना बतायी है। गवाह पी.ड.-14 बलवीर सिंह प्रकरण दर्ज करने व पी.ड.-15 हिमांशु अनुसंधान अधिकारी प्रकरण के औपचारिक साक्षीगण है, जिन्होंने औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य दी है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

10- उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में निर्णय हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैः-

> **''क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 16.01.2017 को शाम के करीब 4.00 बजे या इसके लगभग मौजा भीमगढ़ माताजी मानपुरा में परिवादी पक्ष के साथ मारपीट करने के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया तथा परिवादी/मजरूब फूलचन्द, शंकरलाल, पानाचन्द, बृजमोहन, शोनाथ, कैलाशचन्द के साथ मारपीट करने के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कुन्दालय हथियार से मारपीट कर साधारण व अस्थिभंग कर गम्भीर उपहतियां कारित की तथा परिवादी पक्ष के फूलचन्द, शंकरलाल व बृजमोहन के शरीर पर जगह-जगह साशय एवं यह जानते हुए तथा ऐसी परिस्थितियों में चोट कारित की, यदि उस कृत्य से उनकी मृत्यु कारित हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध के दोषी होते तथा परिवादी पक्ष की लोक शांति भंग करने के उद्देश्य से उनके साथ गाली-गलौच कर उन्हें अभित्रास कारित किया तथा परिवादी पक्ष के जाति से मीणा होकर अनुसूचित जाति के सदस्य होना जानते हुए उन्हें जनता के लिये दृष्टिगोचर सार्वजनिक स्थान पर जाति सूचक शब्दों से संबोधित कर अपमानित एवं प्रकोपित किया तथा उनके साथ उक्त अपराध कारित किये ?''**

11- उक्त अवधारणीय बिन्दु की पुष्टि हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 15 गवाहान को परीक्षित करवाया गया, जिसमें गवाह पी.ड.-1 फूलचन्द स्वयं परिवादी /मजरूब है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब 5 साल पहले शाम को 4.00 बजे करीब की बात है। भीमगढ की माताजी के वहां पर उसने उसकी पोती की मानता की रसोई दी थी। वे 20-25 लोग थे। वे वहां खाना खा रहे थे, उसी समय वहां पर कमलेश, तेजराज, भोजराज, नारायण सिंह व अन्य काफी लोग आये और आते ही इन लोगों ने उनके साथ सल्ला फेंककर लट्ठों व गण्डासी से मारपीट की। कमलेश ने लट्ठ की उसके सिर पर मारी। कमलेश के साथ तेजराज ने भी उसके मारी थी। उसके शरीर में और भी जगह चोटें आयी थी। उनके साथ मुलजिमान ने मारपीट की थी। फिर वहां थाने वाले आ गये और अस्पताल ले

गये। फिर उन्हें झालावाड में भर्ती किया था। इन्होंने उनसे बिना बात के ही मारपीट की थी। पुलिस ने उसके पर्चा बयान लिये, जो प्रदर्श पी.-1 है। डिप्टी साहब घटनास्थल पर आये और घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.-2 बनाया, जिन दोनों पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसका जाति प्रमाण पत्र लिया, जो प्रदर्श पी.-3 है। पुलिस ने उसकी चोटों का मेडिकल मुआयना करवाया था। वह 5-6 दिन झालावाड अस्पताल में भर्ती रहा था। मारपीट में शंकरलाल, श्रीनाथ, पानाचंद, बृजमोहन, कैलाशचंद के भी चोटें आयी थी। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि वह मुलजिमान को पहले से नहीं जानता। आगे स्वीकार किया है कि जो भी लोग लडने आये उनको उसने शकल से पहली बार ही देखा था। आगे स्वीकार किया है कि वह उन लोगों में से किसी का नाम पहले से नहीं जानता था, केवल कमलेश का नाम जानता था। आगे स्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे उन लोगों की थाने में या जेल में पहचान नहीं करवायी, जिन लोगों ने उनके साथ मारपीट की।

12- गवाह पी.ड.-2 रामदयाल स्वयं मजरूब है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब 5 साल पहले शाम को करीब 4.00 बजे की बात है। भीमगढ माताजी के मन्दिर के वहां पर फूलचन्द जी ने रसोई दी थी, वे 15-20 लोग वहां पर खाना खा रहे थे। उसी समय भोजराज, कमल, नारायण व इनके साथ अन्य 7-8 लोग थे, जिन्होंने आते ही उनके साथ लकडियों से मारपीट की, मारपीट से उसके कंधे पर चोट लगी थी। मारपीट में फूलचन्द, शंकरलाल व अन्य कई लोगों के चोटें आयी थी। मुलजिमान ने उनके साथ बिना बात के ही मारपीट की थी। पुलिस ने उसकी चोटों का मेडिकल करवाया था। पुलिस ने उसके बयान लिये थे। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर नक्शा मौका प्रदर्श पी.-2 बनाया, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि वह मुलजिमान को पहले से नहीं जानता था। आगे स्वीकार किया है कि भीड में करीब 20-25 लोगों के चोटें आयी थी।

13- गवाह पी.ड.-3 गजानन्द प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब 4-5 साल पहले शाम के समय की बात है। फूलचंद के पोते की रसोई कंकाली में थी। उसके साथ अनेक लोग गये थे। वहां पर तेजराज, कमल और भोजराज व अनेक लोगों ने फूलचंद और उसके रिश्तेदारों के साथ मारपीट की थी। मारपीट होने की वजह से वे वहां से भाग गये थे। बाद में पुलिस मौके पर आयी थी और नक्शा मौका प्रदर्श पी.-2 बनाया, जिस पर ई से एफ स्थान पर उसके

हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि वह मारने वालों को पहले से नहीं जानता था। आगे स्वीकार किया है कि उसके सामने किसी के कोई चोट नहीं आयी थी, उसे तो बाद में पता चला कि फूलचंद के व कई अन्य लोगों के चोटें आयी है।

14- गवाह पी.ड.-4 डॉ. सत्येन्द्र मीणा चिकित्सक साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 22.01.17 को सी.एच.सी. अकलेरा में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत रहते हुए, थाना सारोला के प्रतिवेदन पर उसने मजरूब शंकरलाल के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल परीक्षण किया था। बाद परीक्षण उसके शरीर पर कुल 6 चोटें थी - चोट सं.-1 टांके लगा हुआ घाव 3*0.5 सेमी सिर के पीछे। चोट सं.-2 दर्द 10*7 सेमी बांयी जांघ पर। चोट सं.-3 दर्द 7*5 पीछे पीठ पर बांयी ओर। चोट सं.-4 नीलगू 3*2 सेमी कमर पर दांयी ओर। चोट सं.-5 नीलगू 3*1 सेमी पीछे पीठ पर दांयी ओर व चोट सं.-6 खरोंच 2*1 सेमी बांये हाथ की छोटी अंगुली पर। उक्त सभी चोटें कुन्दालय से कारित थी, जिनकी अवधि 5 से 7 दिन पुरानी थी। चोट सं.-1 की प्रकृति जानने के लिए एक्सरे की सलाह दी थी। अन्य सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी। बाद एक्सरे चोट सं.-1 साधारण प्रकृति की पायी गयी। उसके द्वारा तैयार चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.-4 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर, सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह व ई से एफ उसकी राय अंकित है।

उसी दिन उसके द्वारा मजरूब पानाचन्द के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल परीक्षण किया था। बाद परीक्षण उसके शरीर पर कुल 6 चोटें थी - चोट सं.-1 खरोंच का निशान 2*1 बांये गाल पर। चोट सं.-2 खरोंच का निशान 2*2 नाक पर। चोट सं.-3 खरोंच 1*1 बांयी आंख के उपर। चोट सं.-4 दर्द व सूजन 5*4 सिर में बांयी ओर। चोट सं.-5 दर्द 3*3 दांये हाथ की कलाई पर व चोट सं.-6 दर्द 4*3 बांये हाथ की कलाई पर। उक्त सभी चोटें साधारण प्रकृति की व कुन्दालय से कारित थी, जिनकी अवधि 5 से 7 दिन पुरानी थी। उसके द्वारा तैयार चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.-5 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर, सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह अंकित है।

उसी दिन उसके द्वारा मजरूब शोनाथ के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल परीक्षण किया था। बाद परीक्षण उसके शरीर पर कुल 4 चोटें थी - चोट सं.-1 दर्द व खरोंच 2*1 दाहिने हाथ की छोटी अंगुली पर। चोट सं.-2 दर्द 5*4 बांये कन्धे पर। चोट सं.-3 दर्द 8*5 दाहिने कुल्हे पर व चोट सं.-4 दर्द 7*5 बांये कुल्हे पर। उक्त सभी चोटें साधारण प्रकृति की व कुन्दालय से कारित थी, जिनकी अवधि 5

से 7 दिन पुरानी थी। उसके द्वारा तैयार चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.-6 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर, सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह अंकित है।

उसी दिन उसके द्वारा मजरूब फुलचन्द के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल परीक्षण किया था। बाद परीक्षण उसके शरीर पर कुल 4 चोटें थी - चोट सं.-1 टांके लगा घाव 3*1 सिर के बीच में। चोट सं.-2 टांके लगा घाव 1*0.5 सिर में दाहिनी तरफ। चोट सं.-3 दर्द 7*5 दाहिने कंधे पर व चोट सं.-4 दर्द 5*4 पीछे पीठ पर दाहिनी तरफ। सभी चोटें कुन्दालय से कारित थी, जिनकी अवधि 5 से 7 दिन पुरानी थी। चोट सं.-3 व 4 साधारण प्रकृति की एवं चोट सं.-1 व 2 की प्रकृति जानने के लिए एक्सरे की सलाह दी थी। बाद एक्सरे चोट सं.-1 व 2 साधारण प्रकृति की पायी गयी। उसके द्वारा तैयार चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.-7 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर, सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह व ई से एफ उसकी राय अंकित है।

उसी दिन उसके द्वारा मजरूब बृजमोहन के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल परीक्षण किया था। बाद परीक्षण उसके शरीर पर कुल 4 चोटें थी - चोट सं.-1 टांके लगा हुआ घाव 5*1 सिर में दाहिनी तरफ। चोट सं.-2 टांके लगा घाव 3*0.5 सिर में सामने की ओर। चोट सं.-3 टांके लगा घाव 2*0.5 सिर में बांयी तरफ व चोट सं.-4 दर्द 10*7 छाती में दाहिनी ओर। सभी चोटें कुन्दालय से कारित थी, जिनकी अवधि 5 से 7 दिन पुरानी थी। सभी चोटों की प्रकृति जानने के लिए एक्सरे की सलाह दी थी। बाद एक्सरे सभी चोटें साधारण प्रकृति की पायी गयी। उसके द्वारा तैयार चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.-8 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर, सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह व ई से एफ उसकी राय अंकित है।

उसी दिन उसके द्वारा मजरूब कैलाशचन्द के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल परीक्षण किया था। बाद परीक्षण उसके शरीर पर कुल 10 चोटें थी - चोट सं.-1 दर्द व सूजन 10*5 दाहिने हाथ की कलाई पर। चोट सं.-2 खरोंच का निशान 3*2 दाहिने हाथ की कलाई पर बीच वाले हिस्से में। चोट सं.-3 खरोंच 3*1 दाहिने पैर में। चोट सं.-4 खरोंच 2*1 बांये पैर में। चोट सं.-5 नीलगु 5*4 दाहिनी भुजा पर। चोट सं.-6 नीलगु 4*3 दाहिनी कलाई पर। चोट सं.-7 दर्द 10*7 छाती पर बांयी ओर। चोट सं.-8 दर्द 6*4 बांये घुटने पर। चोट सं.-9 नीलगु 5*4 पीछे पीठ पर दांयी ओर व चोट सं.-10 दर्द की शिकायत सामने ललाट पर। सभी चोटें कुन्दालय से कारित थी, जिनकी अवधि 5 से 7 दिन पुरानी थी। चोट सं.-1, 7 व 8 की प्रकृति जानने के लिए एक्सरे की सलाह दी थी। अन्य सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी। बाद एक्सरे चोट सं.-1 गंभीर प्रकृति की व चोट सं.-7 व 8 साधारण प्रकृति की पायी गयी। उसके द्वारा तैयार चोट प्रतिवेदन

प्रदर्श पी.-9 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर, सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह व ई से एफ उसकी राय अंकित है। मजरूब फुलचन्द का एक्सरे कंवरनोट प्रदर्श पी.-10 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी उसकी राय अंकित है। एक्सरे फार्म प्रदर्श पी.-11 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मजरूब बृजमोहन का एक्सरे कंवरनोट प्रदर्श पी.-12 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी उसकी राय अंकित है। एक्सरे फार्म प्रदर्श पी.-13 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मजरूब शंकरलाल का एक्सरे कंवरनोट प्रदर्श पी.-14 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी उसकी राय अंकित है। एक्सरे फार्म प्रदर्श पी.-15 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मजरूब शंकरलाल का एक्सरे कंवरनोट प्रदर्श पी.-16 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी उसकी राय अंकित है। एक्सरे फार्म प्रदर्श पी.-17 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि उक्त सभी मजरूबान की सभी चोटें भाग दौड में सख्त धरातल पर गिरने-पडने से आ सकती है। आगे स्वीकार किया है कि मजरूब कैलाशचन्द की चोट सं.-1 हाथ के बल ठोस धरातल पर गिरने से आ सकती है।

15- गवाह पी.ड.-5 कैलाशचन्द स्वयं महरूब है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब 5-6 साल पहले शाम के समय की बात है। भीमगढ माताजी के वहां पर वह, फूलचन्द जी के रसोई में गया था। वहां पर वे खाना खा रहे थे। तब वहां पर 10-15 लोग आ गये थे, जिन्होंने उसके साथ लकडियों से मारपीट की थी। उसके पैर, कमर व हाथ में चोटें आयी थी। उसके साथ कमलेश, भोजराज, नारायण, हंसराज, दानमल, तेजराज, तेजमल व 5-7 अन्य लोगों ने मारपीट की थी। लडाई-झगडा क्यों हुआ उसे पता नहीं। वह तो वहां खाना खाने गया था। पुलिस ने उसके बयान लिये थे। पुलिस ने उसके शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल करवाया था। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.-9 है, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि वह मुलजिमान को पहले से नहीं जानता था। आगे स्वीकार किया है कि जिन लोगों ने उसके साथ मारपीट की उन लोगों की पहचान थाने में उससे नहीं करवायी थी। फिर कथन किया कि आज भी वो लोग उसके सामने आ जाए तो वह उनको नहीं पहचान सकता।

16- गवाह पी.ड.-6 शंकरलाल स्वयं मजरूब है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि सन् 2017 लगभग 3-4 बजे की बात है। भीमगढ माताजी के स्थान पर वह

फूलचन्द जी की रसोई में खाना खाने गया था। वे वहां पर खाना खा रहे थे। वहां पर 10-15 लोग इकट्ठे आये थे, जिन्होंने उसके साथ भी मारपीट की, उसके सिर के पीछे चोट आयी थी। उसके साथ लकडियों से मारपीट की थी, मारपीट करने वालों में प्रकाश, भोजराज, नारायण, कमलेश, तेजमल, तेजराज, अमरलाल, दानमल, हंसराज थे। लडाई-झगडा की कोई वजह नहीं थी, इन्होंने आते ही उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने उसके बयान लिये थे। पुलिस ने उसका मेडिकल करवाया था। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि जिन लोगों ने मारपीट की उन लोगों को उसने पहले कभी नहीं देखा। आगे कथन किया है कि जिन लोगों ने मारी उनकी पहचान उससे थाने में नहीं करवायी थी। आगे स्वीकार किया है कि वह उन लोगों को आज भी नहीं पहचान सकता।

17- गवाह पी.ड.-7 बृजमोहन स्वयं मजरूब है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब 5 साल पहले दिन के 3-4 बजे की बात है। भीमगढ माताजी के पर फूलचन्द की रसोई चल रही थी, जिसमें वह भी गया था। उन्होंने खाना बना लिया था और खाना खा रहे थे। तभी वहां पर 10-12 लोग आ गये, जिनके हाथ में लकडियां गण्डासियां थी, जिन्होंने आते ही उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसके सिर में गण्डासी की मारी, जिससे उसके सिर में चोटें आयी थी। उनके साथ प्रकाश, नारायण, भोजराज, हंसराज, दानमल आदि ने मारपीट की थी। फिर वह बेहोश हो गया था। वह 3 दिन अस्पताल में भर्ती रहा था। पुलिस ने उसके बयान लिये थे। पुलिस ने उसका मेडिकल करवाया था। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि जिन लोगों ने मारपीट की उन लोगों को उसने पहले कभी नहीं देखा तथा जिन लोगों ने मारी उनकी पहचान उससे थाने में नहीं करवायी थी। आगे स्वीकार किया है कि वह उन लोगों को आज भी नहीं पहचान सकता।

18- गवाह पी.ड.-8 शोनाथ स्वयं मजरूब है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि सन् 2017 की दिन में 2-3 बजे की बात है। भीमगढ माताजी के यहां वे फूलचन्द जी की रसोई में गये थे। वे वहां पर खाना खा रहे थे, तभी वहां पर 10-12 लोग आए, जिनके हाथ में लकडी गण्डासी थी। इन लोगों ने आते ही उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसके सीधे हाथ में चोटें आयी थी, मारपीट करने वालों में प्रकाश, कमलेश, भोजराज, जगदीश, नारायण, दानमल, हंसराज व अन्य और भी लोग थे। पुलिस ने उसके बयान लिये थे। पुलिस ने उसका मेडिकल करवाया

था। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि जिन लोगों ने मारपीट की उन लोगों को उसने पहले कभी नहीं देखा तथा जिन लोगों ने मारी उनकी पहचान उससे थाने में नहीं करवायी थी।

19- गवाह पी.ड.-9 पानाचन्द भी स्वयं मजरूब है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि सन् 2017 की दिन के करीब दो-ढाई बजे की बात है। भीमगढ माताजी के यहां वे उनके बियाई फूलचन्द जी की रसोई में गये थे। वे वहां पर खाना खा रहे थे, तभी वहां पर 10-12 लोग आए, जिनके हाथ में लकडी, गण्डासी थी। इन लोगों ने आते ही उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, उसके सिर में पीछे व पैर में लट्ठ की दी थी, जिससे उसके चोटें आयी थी। मारपीट करने वालों में प्रकाश, नारायण, कमलेश, हंसराज, दानमल व अन्य और भी लोग थे। पुलिस ने उसके बयान लिये थे। पुलिस ने उसका मेडिकल करवाया था। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि जिन लोगों ने मारपीट की उन लोगों को उसने पहले कभी नहीं देखा। आगे कथन किया है कि जिन लोगों ने मारी उनकी पहचान उससे थाने में नहीं करवायी थी। आगे स्वीकार किया है कि वह उन लोगों को आज भी नहीं पहचान सकता।

20- गवाह पी.ड.-10 प्रभूलाल परिवादी का पुत्र है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब 7-8 साल पहले की बात है। भीमगढ माताजी के वहां रणजीत ने गोट की थी, जिसमें वे गये थे। फिर गांव में उसने सुना फूलचन्द व 3-4 अन्य लोगों के साथ 7-8 लोगों ने मारपीट की है। किसने मारपीट की उसे पता नहीं। इसके अलावा उसे कुछ पता नहीं। उक्त गवाह **पक्षद्रोही** घोषित हुआ है, जिसने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है।

21- गवाह पी.ड.-11 शंकरलाल व पी.ड.-12 जगदीश परिवादी के गांव के व्यक्ति हैं, जिन्होंने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब 10 साल पहले दिन के 12-1 बजे की बात है। फूलचन्द ने भीमगढ माताजी के यहां रसोई की थी। जहां पर वे खाना खाने गये थे और खाना खाकर वापस घर पर आ गये थे। बाद में गांव में उन्होंने सुना था कि वहां पर झगडा हो गया था। किसके बीच झगड़ा हुआ, उन्हें पता नहीं। इसके अलावा उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उक्त दोनों गवाहान **पक्षद्रोही** घोषित हुए हैं। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि उनके सामने कोई घटना नहीं घटी।

22- गवाह पी.ड.-13 मांगीलाल ढोल बजाने वाला व्यक्ति है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब 5-6 साल पहले दिन के 2-2.30 बजे की बात है। वे भीमगढ माताजी के यहां ढोल बजा रहे थे। कोई बकरे की बलि देने आये थे, तो पूजारी जी व उसने बकरा की बलि देने के लिये मना किया। इसके बाद ये लोग बकरों को नीचे लेकर गये और बकरे की बलि दी। फिर दानमल की दुकान पर गये और उससे नारियल खरीदा फिर दानमल के उन लोगों में से किसी ने नारियल की मार दी। इसके अलावा उसे कुछ पता नहीं है। पुलिस ने उसके बयान लिये थे। उक्त गवाह **पक्षद्रोही** घोषित हुआ है, जिसने अभियोजन कहानी का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है।

23- गवाह पी.ड.-14 बलबीर सिंह थानाधिकारी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 17.01.2017 को थाना सारोला में थानाधिकरी के पद पर कार्यरत रहते हुए, उसे अंसार उल्ला, एस.आई. ने मजरूब फूलचंद का पर्चा बयान अस्पताल में लेखबद्व कर उसे लाकर दिया, जिस पर उसने प्रकरण सं.-13/2017, अपराध अन्तर्गत धारा 143, 308, 504, 323 भा.दं.सं. व धारा 3 एस.सी./एस.टी.एक्ट में प्रकरण दर्ज किया था। पर्चा बयान प्रदर्श पी.-1 है, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर, आई से जे उसके द्वारा किया गया पुलिस कार्यवाही का पृष्ठांकन अंकित है, सी से डी अंसार उल्ला के हस्ताक्षर व सी से डी उनके द्वारा किया गया पुलिस कार्यवाही का पृष्ठाकंन अंकित है। घटना की चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.-16 है, जिस पर ए से बी उसके व सी से डी अंसार उल्ला के हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि इस पत्रावली में उसके द्वारा कोई अनुसंधान नहीं किया गया।

24- गवाह पी.ड.-15 हिमांशु अनुसंधान अधिकारी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 17.01.2017 को वृताधिकारी खानपुर के पद पर कार्यरत रहते हुए, थाना सारोला के प्रकरण सं.-13/17, अपराध अन्तर्गत धारा 143, 308, 504, 323 भा.दं.सं. व धारा 3 एस.सी./एस.टी.एक्ट की पत्रावली उसे अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई थी। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा फरियादी फूलचन्द व गवाहान प्रभूलाल, शंकरलाल पुत्र भैरूलाल, जगदीश, मांगीलाल, पानाचन्द, बृजमोहन, श्योनाथ, कैलाश, शंकरलाल पुत्र कन्हीराम, रामदयाल, गजानन्द व बाबूलाल के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. उनके कथनानुसार लेखबद्व किये थे। मजरूबान का मेडीकल रिपोर्ट और एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की थी। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा फरियादी की निशानदेही से गवाहों की उपस्थिति में घटना

स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.-2 बनाया, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। फरियादी का जाति प्रमाण पत्र लेकर शामिल पत्रावली किया, जो प्रदर्श पी.-3 है। मुलजिमान के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर धारा 41 दं.प्र.सं. का नोटिस दिया गया था। मुलजिमान प्रकाश, तेजराज उर्फ तेजकरण, कमल, दानमल उर्फ हंसराज, नारायण, अमरलाल व भोजराज को दिया गया नोटिस क्रमशः प्रदर्श पी.-17 लगायत पी.-23 है, जिन पर ए से बी उसके व सी से डी मुलजिमान के हस्ताक्षर है। मुलजिमान द्वारा धारा 41 दं.प्र.सं. के नोटिस की पालना कर दी गई थी और अनुसंधान में सहयोग किया गया था, जिस कारण उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके सम्पूर्ण अनुसंधान से मुलजिमान के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 143, 323, 325, 504, 308 भा.दं.सं. व धारा 3-1(s), 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु थानाधिकारी थाना सारोला को सुपुर्द कर दी थी। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि पर्चा बयान प्रदर्श पी.-1 में जाति विशेष को इंगित करते हुए, जाति सूचक शब्द अंकित नहीं है।

25- अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध के संबंध में परिवादी पी.ड.-1 फूलचन्द के सशपथ बयानों व उसके द्वारा दिये गये पर्चा बयान प्रदर्श पी.-1 का अवलोकन किया जाये, तो परिवादी ने अपने पर्चा बयान की ताईद करते हुए कहा है कि भीमगढ़ माताजी के यहां इसने रसोई दी थी, वहां यह लोग खाना खा रहे थे तथा वहां अभियुक्तगण कमलेश, तेजराज, भोजराज, नारायण सिंह व अन्य लोग आये और लट्ठों व गण्डासी से उनके साथ मारपीट की तथा कहता है कि इन्होंने बिना बात के ही मारपीट की थी तथा प्रतिपरीक्षा में स्वीकार करता है कि जो भी लोग लड़ने आये थे, उनको इसने शक्ल से पहली बार ही देखा था। वह उन लोगों में से किसी का नाम नहीं पहले से नहीं जानता था, केवल कमलेश का नाम जानता था। तथा स्वीकार करता है कि पुलिस ने इससे मारपीट करने वाले लोगों की पहचान थाने में या जैल में नहीं करवायी तथा मारपीट करने वालों की संख्या 50 से अधिक होना बताता है। परिवादी के साथ वक्त घटना मौजूद गवाह पी.ड.-2 रामदयाल ने भी भोजराज, कमल, नारायण व अन्य लोगों द्वारा इनके साथ लकड़ियों से मारपीट करना कहा है तथा कहता है कि मारपीट से इसके कंधे पर चोट लगी थी। यद्यपि यह भी स्वीकार करता है कि मुलजिमान को पहले से नहीं जानता था तथा मारपीट क्यों हुई यह बताने में भी असमर्थता जताता है तथा परिवादी के बयानों के विपरीत मारपीट करने वालों की संख्या 15-20 होना कहता है। गवाह पी.ड.-3 गजानन्द भी अपने बयानों में तेजराज, कमल व भोजराज व

अन्य द्वारा फूलचन्द के व उसके रिश्तेदारों के साथ मारपीट करना बताता है, लेकिन कहता है कि मारपीट की वजह से यह लोग यहां से भाग गये थे, इसलिये इसके कोई चोट नहीं लगी तथा प्रतिपरीक्षा में स्वीकार करता है कि यह मारने वालों को पहले से नहीं जानता था। अन्य लोगों की लड़ाई थी, जिसमें फूलचन्द को चोट आ गयी थी। अभियोजन की ओर से परीक्षित करवाये गवाह पी.ड.-2 रामदयाल व पी.ड.-3 गजानन्द परिवादी फूलचन्द के साथ ही आयोजित भोज में मौजूद थे तथा इनके साथ भी मारपीट होना बताया गया है। गवाह पी.ड.-2 रामदयाल ने भी यह स्वीकार किया है कि मारने वालों में इनके समाज के लोग भी थे। अतः अभियोजन कहानी का यह भाग कि परिवादी पक्ष के अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने के कारण उनके साथ मारपीट हुई, यह भी सन्देह से परे प्रमाणित नहीं होता है। मजरूब के रूप में परीक्षित गवाह पी.ड.-5 कैलाशचन्द भी अभियुक्तगण कमलेश, भोजराज, नारायण, हंसराज, दानमल, तेजराज व तेजमल व अन्य लोगों द्वारा मारपीट करना बताता है तथा कहता है कि लड़ाई-झगड़ा क्यों हुआ, इसे पता नहीं तथा स्वीकार करता है कि मुलजिमान को यह पहले से नहीं जानता था और जिन लोगों ने इसके साथ मारपीट की, उन लोगों की पहचान थाने में इससे नहीं करवायी गयी तथा स्वयं कहता है कि आज भी वो लोग इसके सामने आ जाये तो यह उन्हें नहीं जानता पहचानता। इस प्रकार उक्त गवाह की स्वीकारोक्ति से उक्त गवाह के उपरोक्त बयान ही सन्देहास्पद प्रतीत होते हैं। कमलेश, भोजराज, नारायण, दानमल, तेजराज व तेजमल ने इसके साथ मारपीट की हो। गवाह पी.ड.-6 शंकरलाल भी मारपीट के दौरान स्वयं के सिर में चोटें आना बताता है, लेकिन प्रतिपरीक्षा में स्वीकार करता है कि मारपीट करने वाले लोगों को इसने पहले कभी नहीं देखा और आज भी नहीं पहचान सकता। इसी प्रकार के बयान पी.ड.-7 बृजमोहन, पी.ड.-8 सोनाथ, पी.ड.-9 पानाचन्द ने दिये है और उपरोक्त तीनों गवाहान भी मुलजिमान को पहचानने से इन्कार करते हैं। गवाह पी.ड.-10 प्रभूलाल, पी.ड.-11 शंकरलाल, पी.ड.-12 जगदीश व पी.ड.-13 मांगीलाल चारों पक्षद्रोही घोषित हुए हैं और अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करते हैं। इस प्रकार समग्र अभियोजन साक्ष्य से व अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान द्वारा की गयी स्वीकारोक्तियों से यह दर्शित होता है कि मारपीट अचानक हुई थी तथा मारपीट का कोई कारण किसी भी गवाहान ने नहीं बताया है तथा परिवादी समेत समस्त गवाहान मारपीट करने वाले मुलजिमान को पहचानने से इन्कार करते हैं तथा दौराने अनुसंधान पुलिस ने उनसे थाने में या जैल में मुलजिमान की शिनाख्तगी करवायी हो, इस बात से भी इन्कार करते हैं। अतः ऐसी दशा में यह भी सन्देहास्पद प्रतीत होता है कि अनुसंधान अधिकारी

पी.ड.-15 हिमांशु ने किस आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाया। अतः इस न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन अपनी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण समस्त आरोपित अपराध से सन्देह का लाभ दिया जा दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अतः अभियुक्तगण 1- प्रकाश पुत्र हरिराम गोद कन्हैयालाल, उम्र 33 वर्ष, निवासी दौलाड़ा, पुलिस थाना सारोला कलां, जिला-झालावाड़ (राज.), 2- तेजराज उर्फ तेजकरण पुत्र हरिराम, उम्र 38 वर्ष, निवासी दौलाड़ा, पुलिस थाना सारोला कलां, जिला-झालावाड़ (राज.), 3- कमल पुत्र पुरबचन्द, उम्र 31 वर्ष, निवासी मानपुरा, पुलिस थाना सारोला कलां, जिला-झालावाड़ (राज.), 4- दानमल उर्फ हंसराज पुत्र अमृतलाल, उम्र 26 वर्ष, निवासी मानपुरा, पुलिस थाना सारोला कलां, जिला-झालावाड़ (राज.), 5- नारायण पुत्र उदयलाल, उम्र 23 वर्ष, निवासी दौलाड़ा, पुलिस थाना सारोला कलां, जिला-झालावाड़ (राज.) तथा 6- भोजराज पुत्र छीतर लाल, उम्र 42 वर्ष, निवासी दौलाड़ा, पुलिस थाना सारोला कलां, जिला-झालावाड़ (राज.) को अपराध अन्तर्गत धारा 143, 323, 325, 308, 308 सहपठित धारा 149 भा.दं.सं. एवं धारा 3-1(r)(s), 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपों से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

2- अभियुक्त 7- **अमरलाल** पुत्र नन्दाजी, उम्र 43 वर्ष, निवासी मानपुरा, पुलिस थाना सारोला कलां, जिला-झालावाड़ (राज.) की **मृत्यु** होने से दिनांक 02.12.2025 को उसके विरूद्ध प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही **ड्रोप** की जा चुकी है। अभियुक्तगण के जमानत-मुचलके बाबत हाजिरी निरस्त किए जाते हैं।

3- प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए मजरूबान को पीड़ित प्रतिकर योजना के अधीन प्रतिकर दिलवाये जाने हेतु अनुशंषा किया जाना उचित नहीं पाया जाता है।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.प्र.),
झालावाड़ (राज.)

4- निर्णय आज दिनांक **23.04.2026** को पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.प्र.),
झालावाड़ (राज.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निर्णय/आदेश में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(कमलेश टेलर)
स्टेनो ग्रेड प्रथम

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।